न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29/2014 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी सज्जनगढ़
2. मोहम्मद ईसाक पुत्र अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी सज्जनगढ़
3. ईलियास पुत्र अब्दुल रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी सज्जनगढ़, हाल मुकाम शेरविलास कोठी के पास, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सादुल्ला खां पुत्र अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी सज्जनगढ़, हाल मुकाम राज तालाब, बांसवाड़ा (राज.)
2. बादुल्ला खां पुत्र अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान (मृतक) के बजाय :–
   - 2/1. श्रीमती सरैया पत्नी स्वर्गीय श्री बादुल्ला, जाति मुसलमान
   - 2/2. असदुल्ला खां पिता स्वर्गीय श्री बादुल्ला, जाति मुसलमान
   - 2/3. अमिनुल्ला खां पिता स्वर्गीय श्री बादुल्ला, जाति मुसलमान

   निवासियान राज तालाब, बांसवाड़ा (राज.)
3. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी सज्जनगढ़, हाल मुकाम राज तालाब, बांसवाड़ा (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
प्रारम्भिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
कुशलगढ़ दि0 25.04.2006 अंतिम
डिक्री दि॰ 28.08.2006 प्र.सं. 63/04

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री फरीद खान अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री देवेन्द्र निगम अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय दिनांक 22–10–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करते हुए ग्राम सज्जनगढ़ की विवादित आराजियात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित हैं, का विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी/अपीलान्ट को दिनांक 11–08–2004 को जारी शुदा नोटिस पर अनीश खां पर तामिल हुई है। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–10–2005 को अधिवक्ता वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी तामिल नहीं करवाने देना चाहते तथा सहखातेदारों के बीच का विवाद है कोई कूटरचित साक्ष्य का प्रश्न नहीं है। राजस्व अभिलेखों में हिस्सा व सहखातेदारी की प्रविष्टि है। प्रकरण में अकारण विलम्ब हो रहा है। अतएवं प्रतिवादी सम्मन लेने से इंकार करे तो निवास पर चस्पानगी की जाने के नोट के साथ सम्मन की जाति कराने की कृपा करें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–11–2005 को जारी नोटिस जिन पर 2 व्यक्तियों के सामने मकान पर चस्पानगी करायी गयी है तथा तीनों प्रतिवादीगण की तामिल कराये जाने के बाद दिनांक 22–03–2006 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी की साक्ष्य लेकर दिनांक 25–04–2006 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28–08–2006 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–04–2006 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28–08–2006 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–12–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण परिवार सहित बाहर रोजगार करने से घर पर नहीं थे, जिससे उन्हें रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत दावे व निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलान्टगण द्वारा अभी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट ट्रायबल व पिछड़े क्षेत्र के निवासी है।

उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में तामिल चस्पानगी से हुई है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री देवेन्द्र निगम उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्मन बिना प्रमाणित साक्षीगण व बिना तहसीलदार के प्रोपर तामिल मामने में भूल की है। विवादित भूमि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को उसके पिता श्री अब्दुल हमीद द्वारा उनकी हयाती में ही हिबा कर दी गयी थी तथा मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया था। स्वर्गीय अब्दुल हमीद के दो पत्नियां सदा बेगम व उमराव थी। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण सदा बेगम के तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण उमराव के पुत्र हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 स्वर्गीय अब्दुल हमीद की हयाती में ही 78 वर्ष पूर्व बांसवाड़ा चले गये थे जहां अब्दुल हमीद की मिल्कियत के मकान, जमीन व सोना, चांदी तथा पैसे देकर बांसवाड़ा में हिस्सा दे दिया एंव रेस्पोन्डेन्टगण बांसवाड़ा में ही निवासरत हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों में काबिज होकर निवासरत हैं। अपीलान्टगण पर विधिवत तामिल नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही

निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–04–2006 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28–08–2006 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24–12–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।